न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
001/2021	**11.01.2021**	**10.02.2021**

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

नन्दकिशोर गुर्जर पुत्र हालुराम गुर्जर एफ.बी.ओ. मैसर्स वीर गुर्जर स्वीट्स, कुम्भा नगर, चित्तौडगढ, निवासी प्लॉट नं0 8–9, शिवाजी नगर, एलबीएस स्कूल के पास, प्रताप नगर, चित्तौड़गढ़ (राज0) पिनकोड–312001

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल गूजर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी टोंक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहे हूँ और इनका गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2(क) के क्रमांक 53 पर अंकित है, जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/818/21.10.2020 के अनुसार विशेष अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अभियान दिनांक 26.10.2020. से 14.11.2020 तक आयोजित करने के सम्बन्ध में मेरा कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.11.2020 को समय 04:01 पी.एम. पर मैसर्स वीर गुर्जर स्वीट्स कुम्भा नगर चित्तौड़गढ़ (राज0) जिला क्लेक्टर महोदय द्वारा गठित सयुक्त जाँच दल के साथ पहुँचा, वहाँ पर नन्दकिशोर गुर्जर पुत्र हालु राम गुर्जर मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर नन्दकिशोर गुर्जर पुत्र हालुराम गुर्जर ने स्वंय को मैसर्स वीर गुर्जर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:18 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्वीट्स, कुम्भा नगर, चित्तौड़गढ़ (राज0) का मालिक/प्रोपरायटर होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया। जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नन्दकिशोर गुर्जर की उपस्थिति में मैसर्स वीर गुर्जर स्वीट्स, कुम्भा नगर चित्तौड़गढ़ (राज0) का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में मावा, गुलाब जामुन, मावा निर्मित मिठाई ननकीन आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दुकान के फ्रीजर में पॉलीथीन बैग में लगभग 30 किलोग्राम मावा (**Khoya**) रखा हुआ था, मावा (**Khoya**) लगभग 30 किलोग्राम दुकान के फ्रीजर में पॉलीथीन बैग में वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये, में को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने पर अन्देशा हुआ तो श्री नन्दकिशोर गुर्जर को फार्म नं. **V A Form** दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता नन्दकिशोर गुर्जर व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी. ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह मावा (**Khoya**) को वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय कर रहा हूँ। दुकान के फ्रीजर में पॉलीथीन बैग में रखे हुये लगभग 30 किलोग्राम मावा (**Khoya**) रखे हुये में से 1 किलोग्राम मावा (**Khoya**) बांट मापक मशीन से साफ व सूखी अलग से स्टील की ट्रे में तुलवाकर वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता श्री नन्दकिशोर गुर्जर को उनके माँगे अनुसार बाजार भाव से रु0 200/– अक्षरे दौ सौ रूपये मात्र नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये गये तथा आवेदक ने मय हस्ताक्षर सील मोहर लगायी। क्रय किये गये 1 किलोग्राम मावा (**Khoya**) को नियमानुसार अच्छी तरह हिला मिला कर एक रुप कर किया। नमुना क्रय रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम मावा (**Khoya**) को नन्दकिशोर गुर्जर एवं गवाहान को दिखाकर 250–250 ग्राम अलग–अलग बाट मापक मशीन से तुलवाकर चार साफ व सूखी काँच की शिशियो में बराबर भरकर बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 20–20 बूंदे प्रत्येक शीशी मे डालकर, अच्छी तरह हिला–मिलाकर एक रुप कर शिशीयो के ढक्कन को एयर टाईट बन्द किया। एवं चार नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाध पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AM-1236** एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता नन्दकिशोर गुर्जर तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:18 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. **AM-1236** नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रैपर दोनों पर आ चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे नन्दकिशोर गुर्जर ने भी पढ़कर, समझकर द सही मानकर हस्ताक्षर किये मोके पर तैयार सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग नय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया, दो फार्म सं. 6 की प्रतिया अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को नमूना का एक तैयार शुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया व शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं 6 की एक प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा करवाने हेतु तैयार किये एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा करवाया एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने श्री मनोहर लाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 03.11.2020 को खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष 2 भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 02.11.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4647 दिनांक 12.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0/257/एक्ट/2020/266 दिनांक 04.11.2020 के अनुसार एफ.बी.ओ. नन्दकिशोर गुर्जर से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया मावा (**Khoya**) एफ. एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zx)** का उल्लघंन करने के कारण अवमानक (**Sub-Standard**) व 3(1)(**i**) का उल्लघंन करने के कारण बाह्यी अपद्रव्य (**Extraneous Matter**) स्तर का होना पाया गया, जिसकी जॉच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। जिसकी सूचना नन्दकिशोर गुर्जर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:18 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पुत्र हालुराम गुर्जर एफ.बी.ओ. मैसर्स वीर गुर्जर स्वीट्स, कुम्भा नगर चित्तौडगढ राज. को मय रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी थी, जिसकी रजिस्ट्री रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। सम्पूर्ण दस्तावेजों का संग्रहण पश्चात पत्रावली अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष दिनांक 04.01.2021 को प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत की ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की धारा 36 की उप धारा 3 (ङ) के तहत पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन कर सहमत होकर पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए/2021/54 दिनांक 05.01.2021. के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण में अंकित दोषी व्यक्ति व संस्थान के विरुद्व न्याय निर्णयन आवेदन न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति जारी कर प्राधिकृत किया है। अतः में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि अभियुक्त ने खाद्य पदार्थ मावा (**Khoya**) को अवमानक (**Sub-Standard**) व बाह्यी अपद्रव्य (**Extraneous Matter**) स्तर का बनाकर विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (**ii**) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 मे निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णयन आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 10.02.2021 को अप्रार्थी स्वयं हाजिर आया एवं इकबालिया जवाब परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के पूर्व में किसी भी जांच में खाद्य पदार्थ पूर्ण गुणवत्तापूर्ण पाये गये। यह प्रथम जांच है जिसमें अप्रार्थी का खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी की आजीविका को एकमात्र साधन उक्त व्यवसाय ही है एवं अप्रार्थी छोटा व्यापारी है इसके साथ ही अप्रार्थी का प्रथम दोष है अतः अप्रार्थी को माफ कराया जावें। अप्रार्थी न्यायालय के समक्ष अपनी वचनबद्धता देता है कि अप्रार्थी भविष्य में नियमानुसार एवं विधि अनुसार कार्यवाही कर अपना व्यवसाय करेगा। जवाब परिवाद शामिल पत्रावली है।

विपक्षी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर हाजिर विपक्षी को सुना गया। विपक्षी ने जवाब परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं माफ किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपना कथन समाप्त किया। भविष्य में और भी सावधानी पूर्वक काम करूगा, अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में मुझ प्रार्थी माफ करवायें। इसी ईश्तदुआ के साथ अप्रार्थी ने अपना कथन समाप्त किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:18 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का मनन किया। उक्त प्रश्नगत खाद्य पदार्थ अप्रार्थी के कब्जे से बरामद किया गया है जिसकी पुष्टि फर्द पंचनामा से होती है। अप्रार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी और प्रकार के अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या **LS 257/Act/2020/266** दिनांक 04.11.2020 का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा (**Khoya**) एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zx)** का उल्लघंन करने के कारण अवमानक (**Sub-Standard**) व 3(1)(**i**) का उल्लघंन करने के कारण बाह्यी अपद्रव्य (**Extraneous Matter**) स्तर का होना पाया गया होना पाया गया है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

ANALYSIS REPORT

(i) Sample description:- The Sample packed in wide mouth glass jar.

(ii) Physical appearance:- White in color, Solid material.

(iii) Label :-- Loose Sample of Mawa. As per form no. vi

Opinion:- The sample of Khoya (Maya) Bearing code no. and serial no. AM- 1236 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh Is sub-standard as Milk Fat (dry matter basis) minimum (m/m) % does not meet as per the prescribed standards & Provisions as per Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.

The sample Is containing extraneous matter due to added Sugar. The sample Is containing extraneous matters under section 3(1)(i) of the Food Safety and Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप **AM-1236** उक्त खाद्य खाद्य पदार्थ मावा (**Khoya**) एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zx)** का उल्लघंन करने के कारण अवमानक (**Sub-Standard**) व 3(1)(**i**) का उल्लघंन करने के कारण बाह्यी अपद्रव्य (**Extraneous Matter**) का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सब

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:18 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्टेन्डर्ड नमकीन (पॉम ऑयल से निर्मित) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है। इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थी

नन्दकिशोर गुर्जर पुत्र हालुराम गुर्जर एफ.बी.ओ. मैसर्स वीर गुर्जर स्वीट्स, कुम्भा नगर, चित्तौडगढ, निवासी प्लॉट नं0 8–9, शिवाजी नगर, एलबीएस स्कूल के पास, प्रताप नगर, चित्तौड़गढ़ (राज0) पिनकोड–312001 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत उक्त दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51–54 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51–54 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.
Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

54. Penalty for food containing extraneous matter.
Any person whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption containing extraneous matter, shall be liable to a penalty which may extend to one lakh rupees.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:18 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त नन्दकिशोर गुर्जर पुत्र हालुराम गुर्जर एफ.बी.ओ. मैसर्स वीर गुर्जर स्वीट्स, कुम्भा नगर, चित्तौडगढ, निवासी प्लॉट नं0 8–9, शिवाजी नगर, एलबीएस स्कूल के पास, प्रताप नगर, चित्तौड़गढ़ (राज0) पिनकोड–312001 को की दोषी सिद्धि होने से अभियुक्तगणों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त नन्दकिशोर गुर्जर पुत्र हालुराम गुर्जर एफ.बी.ओ. मैसर्स वीर गुर्जर स्वीट्स, कुम्भा नगर, चित्तौडगढ, निवासी प्लॉट नं0 8–9, शिवाजी नगर, एलबीएस स्कूल के पास, प्रताप नगर, चित्तौड़गढ़ (राज0) पिनकोड–312001 को 15000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **10.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:18 IST
Reason: SelfAttested